न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 28/2017

वादीगण

1. हीराराम पुत्र चौलाराम
2. ओमाराम पुत्र स्व. पुखाराम
3. शांति पत्नि स्व. पुखाराम
4. शोभाराम पुत्र चौलाराम फौत के कायम मकाम :–
   4/1 रूकमा बेवा शोभाराम
   4/2 मांगीलाल पुत्र शोभाराम
   4/3 देवकरण पुत्र शोभाराम
   4/4 बुधाराम पुत्र शोभाराम
   4/5 सुशिल पुत्र शोभाराम
   वादी संख्या 4/5 ना0बा0 की वलिया ज्ररिये कुदरती वलीया माता रूकमा बेवा शोभाराम

जातियान–जाट, निवासी–कोटड़िया तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नेमाराम पुत्र गणेशराम
2. पुनाराम पुत्र चौलाराम
   जातियान–जाट,निवासी–कोटडिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली
3. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
4. प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक शाखा–जैतारण
5. प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक शाखा–बाबरा, तहसील–रायपुर

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.10/02/2017**

उपस्थितः. 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 25/05/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–कोटड़िया, पटवार हल्का–कुड़की, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 424/14 रकबा 30–14 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज हैं। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी साथ पेश की हैं। विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं तथा उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। उक्त विवादित आराजी की प्रत्येक इंच व हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त रहा हैं तथा उक्त सम्पति वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी सम्पति हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बतौर उतराधिकारी के प्राप्त हुई हैं तथा मौके पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने से वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाने एवं उन्नत तरीके से काश्त करने हेतु बैंक से ऋण लेने एवं के0सी0बी0 बनाने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। इसलिए यह बंटवाड़ा का वाद–पत्र श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 15/01/2017 को उक्त विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने कानूनन बाई मिट्स

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया तथा शामलाती भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से बंट की भूमि से बेदखल करने की भी एलानिया धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि कर देते हैं एवं वादीगण को असीम हानि होगी एवं वादीगण अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिये महरूम हो जायेगें एवं वादीगण प्रतिवादीगण को ऐसा हरगिज नहीं करने देगें तथा मौके पर लडाई झगड़ा टन्टा फसाद होगा, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिये इनत माम परिस्थितियों में वादीगण के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार, जैतारण एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके विरूद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु वाद-पत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा। तब तक वादीगण का वाद-पत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वाद-पत्र प्रस्तुत करने बाबत् अनुमति का प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी का वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं। वादी संख्या 4 शोभाराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 एसबीबीजे शाखा-जैतारण के यहां रहन होने तथा वादी संख्या 1 हीराराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 एसबीबीजे शाखा-बाबरा में रहन होने से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 वाद-पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये हैं। जबकि इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। बिनायवाद दिनांक 15/01/2017 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वाद-पत्र में वर्णित आराजी का कानूनन बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ईन्कार होने व वादीगण को मौके से बेदखल कर अजनबी क्रेता वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बेचान करने वादीगण को नुक्शान कारित करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम-कोटड़िया, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद वाद-पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त अनवान के विचाराधीन वाद में हमारी संयुक्त शामलाती खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर काबिज अनुसार रास्ते का ध्यान रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जावें तो हम सहमत हैं। प्रार्थना पत्र सा0मि0 किया गया। प्रतिवादीगण की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत-कुड़की ने की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। उभय पक्षकारान् अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मौजा–कोटड़िया, पटवार हल्का–कुड़की, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 424/14 रकबा 30–14 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/88 दिनांक 12/07/2017 द्वारा आदेशित किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–कुड़की में पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2017/245 दिनांक 25/05/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा–कोटड़िया, पटवार हल्का–कुड़की, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 424/14 रकबा 30–14 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शामलाती भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	छोटूराम पुत्र चौथाराम अमराराम पुत्र नारायणराम कौम गुर्जर 1/2 सा. अणेरी तहसील रायपुर हापुड़ी बेवा गणेश 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार	424/14	6-02-00	बा0दो0	1.53
2	पूना पुत्र चौला कौम जाट सा. देह खातेदार	424/20	6-03-00	बा0दो0	1.53
3	हीरा पुत्र चौला कौम जाट सा. देह खातेदार रहन हीरा पुत्र चौला का हिस्सा SBBJ शाखा बाबरा	424/21	6-03-00	बा0दो0	1.53
4	शोभा पिता चौला कौम जाट सा. देह खातेदार रहन शोभा पिता चौला का हिस्सा SBBJ शाखा जैतारण	424/22	6-03-00	बा0दो0	1.54
5	ओमाराम पुत्र पुखा शान्ति बेवा पुखा कौम जाट सा. देह खातेदार	424/23	6-03-00	बा0दो0	1.55

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

वादीगण

1. हीराराम पुत्र चौलाराम
2. ओमाराम पुत्र स्व. पुखाराम
3. शांति पत्नि स्व. पुखाराम
4. शोभाराम पुत्र चौलाराम फौत के कायम मकाम :–
   4/1 रूकमा बेवा शोभाराम
   4/2 मांगीलाल पुत्र शोभाराम
   4/3 देवकरण पुत्र शोभाराम
   4/4 बुधाराम पुत्र शोभाराम
   4/5 सुशिल पुत्र शोभाराम
   वादी संख्या 4/5 ना0बा0 की वलिया जरिये कुदरती वलीया माता रूकमा बेवा शोभाराम

जातियान–जाट, निवासी–कोटड़िया तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नेमाराम पुत्र गणेशराम
2. पुनाराम पुत्र चौलाराम
   जातियान–जाट,निवासी–कोटडिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली
3. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
4. प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक
   शाखा–जैतारण
5. प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक
   शाखा–बाबरा, तहसील–रायपुर

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:28/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–....... व हाजरी श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री राजीव लोचन, अधिवक्ता प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा–कोटड़िया, पटवार हल्का–कुड़की, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 424/14 रकबा 30–14 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शामलाती भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	छोटुराम पुत्र चौथाराम अमराराम पुत्र नारायणराम कौम गुर्जर 1/2 सा. अणेरी तहसील रायपुर हापुड़ी बेवा गणेश 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार	424/14	6-02-00	बा0दो0	1.53
2	पूना पुत्र चौला कौम जाट सा. देह खातेदार	424/20	6-03-00	बा0दो0	1.53
3	हीरा पुत्र चौला कौम जाट सा. देह खातेदार रहन हीरा पुत्र चौला का हिस्सा SBBJ शाखा बाबरा	424/21	6-03-00	बा0दो0	1.53
4	शोभा पिता चौला कौम जाट सा. देह खातेदार रहन शोभा पिता चौला का हिस्सा SBBJ शाखा जैतारण	424/22	6-03-00	बा0दो0	1.54
5	ओमाराम पुत्र पुखा शान्ति बेवा पुखा कौम जाट सा. देह खातेदार	424/23	6-03-00	बा0दो0	1.55

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंट्वाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/05/2018 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01–00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	63–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	07–00	मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।